रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930
No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2009

सं. एल-7/143/158/2008-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(क) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 है।

(ख) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं और निर्वचन**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से, अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयोग में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है;

(ग) यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में, "सहयुक्त" से निम्नलिखित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हो सकेगा—

(i) जिसके, यथास्थिति आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के मताधिकार के छब्बीस प्रतिशत से अन्यून के शेयर है या उन पर नियंत्रण है ; या

(ii) जिसके संबंध में, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं मताधिकार के छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर हैं या उन पर नियंत्रण है ; या

(iii) जो उसी प्रबंधन के अधीन हैं जिसका, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी हैं ।

स्पष्टीकरण : इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को उसी प्रबंधन के अधीन तब समझा जाएगा, --

(i) यदि, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक ऐसे व्यक्ति का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक है ; या

(ii) यदि, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के निदेशकों का बहुमत या ठीक पूर्ववर्ती छह मास के भीतर किसी समय किसी ऐसे व्यक्ति के निदेशकों के बहुमत के बराबर होता है ; या

(iii) यदि, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित किसी मामले की बाबत कुल मताधिकार के एक तिहाई से अन्यून है, और ऐसा व्यक्ति उसी व्यष्टिक या निगमित निकाय द्वारा प्रयोग करता है या नियंत्रित करता है ;

(iv) यदि, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के कोई भी निदेशक, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के अधिक शेयर धारण करते समय ऐसे व्यक्ति में अधिक शेयर धारण करते हैं ।

(घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "कारबार संचालन विनियम" से समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 अभिप्रेत है और इसमें इसकी कोई कानूनी अधिनियमिति भी सम्मिलित है ;

(घ) "वर्तमान अनुपात" से चालू आस्तियों तथा चालू दायित्वों के बीच अनुपात अभिप्रेत है, जहां --

(i) चालू आस्तियों में, नकद या धन के समकक्ष नकद, प्राप्य लेखा, सूची, विपणन प्रतिभूतियां, तथा पूर्व संदत्त खर्चे सम्मिलित हैं ; और

(ii) चालू दायित्वों में, विविध लेनदार, प्रावधान या एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्मोचित किए जाने वाले अन्य दायित्व सम्मिलित हैं ;

(छ) "आर्थिक अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसको आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 12) तत्समय लागू होता है ;

(ज) "विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुज्ञप्ति हो ।

(झ) "कपट" का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 17 के अधीन है ;

(ञ) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा, विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है ;

(ट) "अंतर-राज्यिक व्यापार" से किसी एक राज्य-क्षेत्र से किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को पुनः विक्रय के लिए विद्युत का अंतरण अभिप्रेत है तथा इसमें भारत के किसी राज्य में पुनः विक्रय के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत सम्मिलित है ;

(ठ) "अनुज्ञप्ति" से किसी व्यक्ति को विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है ;

(ढ) "नकद (लिक्विडिटी) अनुपात" से नकद आस्तियों तथा चालू दायित्वों के बीच अनुपात अभिप्रेत है, जहां--

(i) नकद आस्तियों में सूची से कम चालू आस्तियां अभिप्रेत है ; और

(ii) चालू दायित्वों में, विविध लेनदार, प्रावधान तथा एक वर्ष के भीतर निर्मोचित किए जाने वाले अन्य दायित्व सम्मिलित है ;

(ण) "शुद्धधन (नेटवर्थ)" से समादत्त ईक्विटी पूंजी का कुल मूल्य तथा संचयित हानियों के कुल मूल्य द्वारा घटाई गई खुली आरक्षितियां (जिसमे पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षितियां नही है), अपलिखित न किए गए आस्थगित व्यय (जिसमे प्रकीर्ण खर्चे भी है) तथा सहयुक्तों के ऋण तथा अग्रिम अभिप्रेत हैं ।

(त) "अन्य कारबार" से अंतर-राज्यिक व्यापार के कारबार के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी का कोई कारबार अभिप्रेत है ;

(थ) कंपनी के संदर्भ में "संप्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संप्रवर्तित किया गया हो और जो कंपनी के प्रबंधन के साथ सक्रिय रूप से सहबद्ध हो या जो ऐसी कंपनी की शेयर पूंजी का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर धारण करता है ;

(द) "वर्ष" से कलैंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी कलैंडर वर्ष के 31 मार्च तक की बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक कि संदर्भ या विषय के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम या ग्रिड कोड मे, क्रमशः हैं ।

(3) समय-समय पर, यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं ।

अध्याय-2 : विद्युत व्यापारी की अपेक्षाएं

3. अर्हताएं

(1) अधिवास संबंधी अर्हताएं

आवेदक भारत का नागरिक, या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म हो या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित कोई कंपनी हो या ऐसा व्यष्टिक संगम या निकाय हो जो भारत का नागरिक हो, चाहे समामेलित हो या नहीं या भारतीय विधि के अधीन मान्यताप्राप्त कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो ।

(2) तकनीकी अपेक्षाएं

आवेदक कम से कम एक पूर्णकालिक वृत्तिक होगा जिसके पास निम्नलिखित अर्हता तथा प्रत्येक पद्धति में अर्हता या अनुभव हो, अर्थात् :--

पद्धति	अर्हता और अनुभव
(क) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन तथा ऊर्जा अंतरण के वाणिज्यिक पहलू	क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री
(ख) वित्त, वाणिज्य और लेखा ।	क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के साथ एमबीए/सीए/ आईसीडब्ल्यूए (वित्त में)

(3) पूंजी पर्याप्तता या उधारपात्रता अपेक्षाएं

(क) आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्तर-राज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए, आवेदक का शुद्ध धन (नेटवर्थ) उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों या ऐसी कम अवधि, जिसके दौरान आवेदक समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया है, तथा आवेदन के साथ लगाए गए विशेष तुलनपत्र की तारीख को नीचे विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा :

क्रम सं0	व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा	शुद्धधन (रुपए करोड़ में)
1	प्रवर्ग I	कोई सीमा नहीं	50.00
2	प्रवर्ग II	500 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	25.00
3	प्रवर्ग III	100 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	5.00

(ख) आवेदक के पास उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, और आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को लगातार न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1: 1 तथा नकद अनुपात 1:1 होगा ।

4. निरर्हता : आवेदक अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने के लिए तब अर्हित नहीं होगा, यदि--

(क) आवेदक, या उसका कोई भी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया हो ; या

(ख) आवेदक या उसका कोई भी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक आवेदन करने के वर्ष के दौरान या उस वर्ष के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पहले नैतिक अधमता, कपट या किसी आर्थिक अपराध में अन्तर्वलित होने के लिए दोषसिद्ध रह चुका हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उसकी निर्मुक्ति से छह मास व्यतीत न हो गए हो ; या

(ग) आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक के विरुद्ध अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया हो ; या

(घ) आवेदक विद्युत के पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता हो ; या

(ङ) आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की पहले,

(i) उन आधारों पर, जो पुनः वैद्य नहीं है अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो ; या

(ii) आवेदन करने के वर्ष या उस वर्ष के ठीक पूर्वर्ती पांच वर्षों के दौरान अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के अननुपालन की किसी कार्यवाही मे दोषी पाए गए हों ।

(च) आवेदक को लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले अन्य कारणों से अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त व्यक्ति नहीं समझा गया हो ।

स्पष्टीकरण : इस बात का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि आवेदक 'ठीक या पर्याप्त व्यक्ति' है, आयोग किसी भी ऐसी बात को ध्यान में लेगा जो वह उचित समझे, किन्तु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, अर्थात् :--

(i) आवेदक की वित्तीय निष्ठा ;

(ii) उसकी सक्षमता ;

(iii) उसकी ख्याति तथा स्वभाव ; और

(iv) उसकी दक्षता तथा ईमानदारी ।

अध्याय - 3 अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया

5. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां

इन विनियमों के अधीन सभी कार्यवाहियां कारबार संचालन विनियमों द्वारा शासित होंगी ।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

(1) विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने का इच्छुक व्यक्ति इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट रीति से अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा तथा ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा, अर्थात् :--

(क) ऐसी फीस, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए जो सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर के माध्यम से संदेय होगी ;

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित व्यक्तियों की दशा में वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां तथा निदेशक रिपोर्ट, संपरीक्षा रिपोर्ट, अनुसूचियों के साथ संपरीक्षित लेखे तथा उस वर्ष, जिसमें आवदेन किया गया है, के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं का टिप्पण तथा आवेदन करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तीस दिनों के भीतर आने वाली किसी तारीख के विशेष तुलनपत्र :

परन्तु यह कि जहां आवेदक, उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित नहीं है, वहां आवेदन के साथ ऐसी कम अवधि, जब से आवेदक अस्तित्व मे है, की वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आवेदन को कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी) सहित उपाबंधों और संलग्न्कों के साथ आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) आवेदक अपनी स्वयं की वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को, उपाबंधों और संलग्नकों के साथ पोस्ट करेगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से आवेदन तक पहुंच सके तथा अपने आवेदन के निपटाए जाने तक वेबसाइट पर रखेगा ।

(4) आवेदक ऐसा आवेदन करने के पश्चात्, 7 दिन के भीतर प्ररूप 2 में दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिसे दिल्ली में प्रकाशित करने के अतिरिक्त पांच प्रदेशों में प्रकाशित किया जाता हो, जिसमे एक इकनोमिक्स दैनिक समाचारपत्र भी सम्मिलित है, अपने आवेदन की निम्नलिखित विशिष्टियो के साथ सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् :--

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरो मे) सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा चाहे आवेदक भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन

व्यष्टिक/एकमात्र स्वत्वधारी व्यष्टिक संगम या निकाय, भागीदारी फर्म हो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित कंपनी की दशा में उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते की पूर्ण विशिष्टियां तथा पत्राचार के लिए पता हो ;

(ख) एक ऐसा कथन कि आवेदक ने यथास्थिति, प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को आवेदन किया है ;

(ग) शेयर पूंजी-- (रुपए लाख में)

(i) प्राधिकृत :
(ii) पुरोधृत :
(iii) अभिदत्त : -
(iv) समादत्त :

(घ) आवेदक का शेयर धारण पैटर्न (उन शेयरधारकों के ब्यौरे जिन्होंने पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण किए हैं, उनके द्वारा धारण शेयरों की संख्या तथा कुल समादत्त पूंजी के शेयरों की प्रतिशतता की सूची) ;

(ङ) आवेदक की वित्तीय तथा तकनीकी सामर्थ्य ;

(च) प्रतिवर्ष व्यापार किए जाने के लिए आशयित विद्युत की मात्रा ;

(छ) आवेदक का प्रबंधन प्रोफाइल जिसमें इसी प्रकार के या वैसे ही क्रियाकलाप में आवेदक या व्यक्तियों के उसमें प्रबंधन में पिछले अनुभव के ब्यौरे ।

(ज) वह भौगोलिक क्षेत्र, जिसके भीतर आवेदक विद्युत में व्यापार आरंभ करेगा ;

(झ) आवेदन करने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के 31 मार्च को या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, को तथा आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का शुद्धधन, वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात ;

(ञ) एक ऐसा विवरण कि आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया है और यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे और क्या निर्मोचित किया गया है या नहीं किया गया है ; और

(ट) आवेदन करने के वर्ष या उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक के नैतिक अधमता, या कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के ब्यौरे देने वाला एक विवरण तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख ;

(ठ) एक ऐसा विवरण कि क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने के लिए इंकार किया था और यदि हां, तो आवेदन की विशिष्टियां, आवेदन करने की तारीख, अनुज्ञप्ति को इंकार करने के आदेश की तारीख तथा ऐसे इंकार करने के कारणों की विशिष्टियां दें ;

(ड) एक कथन कि आवेदक के पास विद्युत के पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे ;

(ढ) एक ऐसा कथन कि आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया है और यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे ;

(ण) एक ऐसा कथन कि आवेदक, या उसका कोई भी सहयुक्त, या भागीदारी, संप्रवर्तक, निदेशक अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी

उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के अननुपालन के लिए दोषी पाए गए हैं यदि ऐसा, तो उसके ब्यौरे ;

(त) इस आशय का एक कथन कि आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन या अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध हैं ;

(थ) उस आवेदक के नियंत्रणाधीन व्यक्ति का नाम तथा पता तथा अन्य सुसंगत ब्यौरे जिसके पास से आवेदन या अन्य दस्तावेज का किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ;

(द) उस वेबसाइट का पता जहां आवेदन उपाबंधों, संलग्नकों के साथ डाला गया है ;

(ध) एक ऐसा कथन कि आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर आवेदक को आपत्तियों या सुझाव की प्रति सहित सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, ____________(यहां वह पता दें जहां आवेदक का कार्यालय अवस्थित है) के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे ।

(5) आवेदक, यथापूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से साथ दिन के भीतर, आयोग को प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को शपथपत्र पर प्रस्तुत करेगा और उन समाचारपत्रों की मूल संपूर्ण प्रति भी फाइल करेगा जिनमें सूचना प्रकाशित हुई है ।

(6) आवेदक समाचारपत्रों में इसके प्रकाशन के पैंतालीस दिनों के भीतर सूचना के प्रत्युतर में प्राप्त आपतियों या सुझावों पर अपनी टीका-टिप्पणियां फाइल करेगा ।

(7) आयोग, आवेदक द्वारा प्रकाशित सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा उसके उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगा :

(8) जब आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव करता है तो वह दो दैनिक समाचार पत्रों में जैसा आयोग समुचित समझे, अपने प्रस्ताव पर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए

अपने प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें अन्य ब्यौरों सहित, जैसा वह उचित समझे, उस व्यक्ति का नाम और पता होगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(9) प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा उस पर आवेदक का उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, आयोग अनुज्ञप्ति प्रदत्त कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि आवेदन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुरूप न हो :

परन्तु यह कि कोई आवेदन तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(10) यथासाध्यशीघ्र इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप तीन में विहित प्ररूप के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदत्त की जाएगी ।

अध्याय-4 : अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें

7. अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएं

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित बाध्यताओं के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--

(क) अनुज्ञप्तिधारी प्रवृत्त विधि में, और विशिष्टतया, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनिमयों की अपेक्षाओं, ग्रिड कोड, विधि के अनुसार आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों और निदेशों का पालन करेगा ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अधीन प्राधिकृत व्यापार की मात्रा से अधिक का व्यापार नहीं करेगा किन्तु आपवादिक मामलों में, अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन प्राधिकृत व्यापार की मात्रा के अधिकतम 120 प्रतिशत तक विद्युत का व्यापार कर सकेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन वर्ष में प्राधिकृत व्यापार की मात्रा से अधिक का व्यापार करता है तो वह उस विशिष्टि वर्ष के लिए उच्चतर प्रवर्ग के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो आयोग विनिश्चित करे, वर्ष में 120% की विनिर्दिष्ट सीमा को बढा सकेगा ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा, समय-समय पर, नियत, विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन से अधिक किसी भी रकम को प्रभारित नहीं करेगा ।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की संपूर्ण अवधि के लिए आवेदन करने के लिए, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता या अनर्हता द्वारा निरंतर शासित होगा ।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी व्यापार आरंभ करने से पूर्व, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधाओं जैसी पर्याप्त संचार सुविधाएं स्थापित करेगा ।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अपने व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में, प्रादेशिक ऊर्जा समितियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं, राज्य पारेषण उपयोगिताओं प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों, और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के साथ संबंधित क्रेता तथा विक्रेता द्वारा प्राधिकृत सीमा तक समन्वय कर सकेगा ;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति से संबंधित उसके कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए हर प्रकार की सहायता देगा ।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी तय निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार व्यापार करेगा तथा क्रेता से संदाय प्रतिभूति तंत्र के बारे में ऐसे सुरक्षोपाय करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु हमेशा प्रत्यय पत्र या किसी अन्य समुचित लिखत के माध्यम से विक्रेता तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच परस्पर तय की गई विद्युत की मात्रा के क्रय के लिए विक्रेता को शोध्य रकम का समय पर संदाय सुनिश्चित करेगा ।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत के क्रय तथा विक्रय के लिए संव्यवहार अनुसूचीकरण करने से पूर्व विक्रेता तथा क्रेता के साथ उसके द्वारा समुचित करार किया गया है तथा करार मे निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा, अर्थात् :--

(i) सीमा, अर्थात् क्रय तथा विक्रय की जाने वाली विद्युत की उच्चतर तथा निम्नतर एमडब्ल्यू सीमा ;

(ii) समय-सारणी के लिए रूपात्मकता ;

(iii) समय-सारणी को विनिर्दिष्ट करने तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करने के पश्चात् समय-सारणी को उपांतरित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ;

(iv) क्या क्रेता या विक्रेता को समय-सारणी को उपांतरित करने के लिए एक पक्षीय रूप से सलाह दी जा सकती है या क्या केवल क्रेता और विक्रेता को संयुक्त रूप से उपांतरित करने के लिए सलाह दी जा सकती है ;

(v) पक्षकारों (विक्रेता, क्रेता तथा अनुज्ञप्तिधारी) के दायित्व यदि अनुसूचित मात्रा (एमडब्ल्यू) तथा समय-सारणी में तय निबंधनों मेंअन्तर होता है या समय-सारणी में उपांतरण की दशा में तथा उसके बाद वाले मामलों में पक्षकार जो निर्बाध पहुंच प्रभारों के अप्रतिदेय भाग का वहन करेगा ।

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रदान की गई समय-सारणी में कोई विसंगति नही है या कोई विवाद नहीं है और यदि दी गई समय-सारणी में कोई विसंगति तथा अस्पष्टता पाई जाती है तो ऐसी सलाह की स्वीकृति या अन्यथा पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेता तथा विक्रेता या तो ग्रिड से जुड़ी इकाइया है या अपनी परिधि पर विशेष ऊर्जा मीटरों के साथ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं

और यह कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अननुसूचित अन्तर-विनिमय लेखांकन के लिए तंत्र अवस्थित है ।

(ड) अनुज्ञप्तिधारी इकाईयों तथा ऐसी इकाईयों के सहयुक्तों से, जो अननुसूचित अन्तर विनियम प्रभारों, पारेषण प्रभारों, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों, कंजेशन प्रभारों तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या एकीकृत भार प्रेषण तथा संसूचना स्कीम के लिए फीस तथा प्रभारों या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन आयोग या किसी राज्य आयोग द्वारा उदगृहीत किसी अन्य संदाय में व्यतिक्रम करते हैं, जब आयोग द्वारा ऐसी सलाह दी जाए, विद्युत क्रय नहीं करेगा ।

(ढ) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का नियमित रूप से संदाय करेगा ।

(ण) अनुज्ञप्तिधारी व्यापार क्रियाकलाप आरंभ करने में लोप या उपेक्षा नहीं करेगा ।

(त) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के क्रय या विक्रय के लिए ऐसा कोई करार नहीं करेगा जिससे उसकी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग होता है या किसी ऐसे समुच्चय में प्रवेश नहीं करेगा जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की संभवना हो या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(थ) अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों का पृथक् रूप से द्विपक्षीय संव्यवहारों, अन्तर-राज्यिक या अंतरा-राज्यिक, या उन संव्यवहारों का, जो पावर एक्सचेंज के माध्यम से किए गए हों, का अद्यतन अभिलेख रखेगा ।

(द) अनुज्ञप्तिधारी जब कभी अपेक्षित हो, कारबार संचालन विनियमों के अनुसार आयोग के पूर्व अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा ।

(ध) अनुज्ञप्तिधारी विधि के अनुसार वाणिज्यिक निबंधनों के निपटान के अधीन रहते हुए, संबंधित राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञात निर्बाध पहुंच से उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय नहीं करेगा ।

8. **अनुज्ञप्तिधारी के लेखे**

(1) अनुज्ञप्तिधारी,-

(क) किसी अन्य कारबार चाहे अनुज्ञप्त या अन्यथा हो, से पृथक् अनुज्ञप्ति में सम्मिलित कारबार का लेखा रखेगा ।

(ख) ऐसे प्ररूप में लेखाओं का विवरण बनाए रखेगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और ऐसे समय तक जब तक, ये आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अनुसार लेखाओं को बनाए रखेगा ।

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र और स्रोत का विवरण तथा उसके टिप्पणों सहित निधियों का उपयोजन होगा और उसमें ऐसे किसी भी राजस्व, लागत, आस्ति, दायित्व, आरक्षिति या प्रावधान की रकम पृथक् रूप से दर्शित करेगा जो,-

(i) किसी अन्य कारबार से या उसको उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित की गई हो, या

(ii) प्रभाजन या आबंटन के आधार पर विवरणों के साथ-साथ विभिन्न कारबार या क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हो ।

(घ) पूर्वगामी खंडों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट के संबंध में, तैयार किए गए लेखांकन विवरण प्रदान करेगा चाहे उनकी राय में यह कथन तैयार किया गया हो कि विवरण पर्याप्त रूप से तैयार किए गए हैं और ऐसे कारबार, जिससे संबंधित वे विवरण हैं, से युक्तियुक्त रूप से हुए माने जा सकने वाले राजस्व, लागत, आस्तियां और दायित्व, आरक्षितियों का ठीक और स्पष्ट दृष्टिकोण देगा, और

(ङ) उस वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति के पश्चात् नौ मास से अन्यून के लेखांकन विवरणों और संपरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति आयोग को देगा । कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट में या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट में उन्हे डाले रखेगा ।

(2) आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण करने और उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार की आवश्यक सहायता देगा ।

9. <u>जानकारी का दिया जाना</u>

अनुज्ञप्तिधारी--

(क) ऐसी जानकारी देगा, जो समय-समय पर आयोग द्वारा मांगी जाए ;

(ख) अन्तर-राज्यिक व्यापार, अन्तरा-राज्यिक व्यापार तथा पावर एक्सचेंज के माध्यम से किए गए व्यापार के संबंध में पृथंक्तः इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 4क, 4ख तथा 4ग में मासिक जानकारी प्रस्तुत करेगा जो आयोग के पूर्ववर्ती मास के 10वें दिन से पूर्व पहुंच सके :

परन्तु यह और कि, आयोग को भेजी गई सूचना को अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा ऐसी रिपोर्ट कम से कम दो वर्ष तक वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी ;

(ग) वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशक रिपोर्ट, संपरीक्षा रिपोर्ट, तुलनपत्र तथा कारबार के अन्तर-राज्यिक व्यापार सिगमेंट से संबंधित लाभ और हानि लेखाओं की सभी अनुसूचियों तथा लेखाओं के टिप्पण की प्रतियां, जो उस वर्ष, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के पश्चात् नौ मास से अन्यून की न हो, के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अपनी वेबसाईट पर तथा किसी प्राधिकृत वेबसाइट पर डाले रखेगा ;

(घ) जब कभी निम्नलिखित बात हो, उस संबंध में यथासंभवशीघ्र आयोग को रिपोर्ट करेगा :—

(i) जब अनुज्ञप्तिधारी या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया हो ;

(ii) जब अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को नैतिक अधमता, कपट या किसी आर्थिक अपराध में अन्तर्वलित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो ;

(iii) जब आयोग द्वारा किसी भी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो ;

(iv) जब अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को अधिनियम या उसके माध्यम बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश का पालन न करने के लिए दोषी पाया गया हो ।

10. कार्य-निष्पादन के मानक

(1) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श करने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए कार्य-निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) खंड (1) के अधीन कार्य निष्पादन मानक विनिर्दिष्ट किए जाने तक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के ठीक बाद 30 अप्रैल तक इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5 में विहित प्ररूप में प्रत्येक वर्ष के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा देगा ।

11. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी, यथासंभवशीघ्र, आयोग को,—

(क) अपनी उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट देगा जिससे उसकी की योग्यता पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और आदेशों, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रभाव पड़े ;

(ख) किसी ऐसी तात्विक बात के संबंध में रिपोर्ट देगा जिससे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और आदेशों, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के उपबंध भंग हों ; और

(ग) उसके शेयरधारण पैटर्न, स्वामित्व या प्रबंधन में कोई मुख्य परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट देगा ।

12. <u>अनुज्ञप्ति का संशोधन</u>

(1) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को आयोग द्वारा लोक हित में या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर उपांतरित किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति में कोई सारवान् परिवर्तन या उपांतरण का कोई भी आदेश करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से भिन्न किए जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में आयोग ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों में जो वह ठीक समझे, निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् :--

(क) अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता ;

(ख) किए जाने के प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण ;

(ग) ऐसे परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आधार ; और

(घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग के विचार के लिए प्रस्ताव पर सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी भी सारवान् परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन करता है तो विनियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी :

परन्तु यह कि जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति में कोई सारवान् परिवर्तन या उपांतरण करने का प्रस्ताव करने के लिए आवेदन किया है वहां वह दो दैनिक समाचारपत्रों, जिसे दिल्ली के अतिरिक्त सभी पांच क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया हो, जिसमें एक इकनोमिक्स टाइम्स है, में प्ररूप 6 में, निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ ऐसे आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् -

(क) आवेदक का नाम ;

(ख) उसको अनुदत्त अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग ;

(ग) यह कि परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आवेदन आयोग के समक्ष फाइल कर दिया गया है ;

(घ) आवेदन में प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण के ब्यौरे ;

(ङ) ऐसे परिवर्तन और उपांतरण करने के कारण ;

(च) एक ऐसा कथन कि आयोग के समक्ष किए गए आवेदन को वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा उसका आवेदक के कार्यालय में निरीक्षण भी किया जा सकता है ;

(छ) एक ऐसा कथन कि आवेदन में किए गए परिवर्तन तथा उपांतरण करने संबंधी प्रस्ताव के लिए कोई भी सुझाव सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर आयोग के सचिव को भेजे जा सकेंगे ।

13. अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया

(1) जहां आयोग का अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या उसके उल्लंघन किए जाने की संभावना है तो वह उसकी आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंधन करने या उल्लंघन करने की संभावना के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस की तामील करेगा ।

(2) नोटिस की तामील उसको उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसके निवास या कारबार के सामान्य या अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या वाहक के माध्यम से परिदान करके की जाएगी या समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा तब की जाएगी यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या हाथ से या किसी अन्य रीति से, जो मामले के तथ्यों पर परिस्थितियों में आयोग उचित समझे, सूचना की तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निबंधनों तथा शर्तों का उल्लंधन करने या उल्लंघन करने की संभावना को विनिर्दिष्ट करते हुए दो समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिससे ऐसे व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऐसे उल्लंधन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति को इस संबंध में सूचना दी जा सके ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, खंड (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से या खंड (3) के अधीन समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव, फाइल कर सकेगा ।

(5) आयोग यथापूर्वोक्त प्राप्त आपतियो या सुझावों पर विचार करने पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश दे सकेगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 5 – अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

14. **अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण**

(1) आयोग निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित कोई बात करने में जानबूझकर और बिलंबित व्यतिक्रम करता है ;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है, जिसके भंग होने से ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा उसके प्रतिसंहरण का दायी होना स्पष्ट रूप से घोषित है ;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि के भीतर या किसी ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, असफल रहता है जो आयोग अपने समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने के लिए अनुज्ञात करे कि वह अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित् कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ;

(घ) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः तथा दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में असमर्थ है ;

(ङ) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत व्यापार करने में उपेक्षा की है :

(च) जहां अनुज्ञप्तिधारी आवेदन करने के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं या इन विनियमों के अधीन किसी भी उपगत अनर्हता को पूरा करने में असफल रहता है ;

(छ) जहां अनुज्ञप्तिधारी विनियम 9,10 या 11 के अनुसार यथाअपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है या जानबूझकर मिथ्या या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से अधिनियम की धारा 143 के अधीन, सिवाय आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग, उपरोक्त खंड (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने के बजाय, ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञप्ति को प्रवर्तन में बने रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित कोई भी अतिरिक्त निबंधन और शर्तें अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगी तथा उसके द्वारा उनका पालन किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वह अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट हों ।

(2) जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है और आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रतिसंहरण से लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आयोग उसकी अनुज्ञप्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा वह तारीख नियत करेगा जिस तारीख को प्रतिसंहरण प्रभावी होगा ।

अध्याय 6 : प्रकीर्ण

15. विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी

(1) विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी निम्नानुसार पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् :--

विद्यमान प्रवर्ग	प्रस्तावित प्रवर्ग
प्रवर्ग 'क'	प्रवर्ग III
प्रवर्ग 'ख' तथा 'ग'	प्रवर्ग II
प्रवर्ग 'घ', 'ङ' तथा 'च'	प्रवर्ग I

(2) विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी, 31.3.2010, की अवधि के भीतर इन विनियमों में, विनिर्दिष्ट शुद्धधन, वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात के मानदंडों को पूरा करेंगे।

(3) विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति फीस, जब पुनरीक्षित की जाए, वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण की तारीख से आनुपातिक आधार पर विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संदेय होगी ।

16. पत्र-व्यवहार

(1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार लिखित में होंगे और संबोधिती को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजे जाएंगे या संबोधिती के कारबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाएंगे ।

(2) सभी संसूचनाएं भेजने वाले द्वारा तब दी गई और संबोधिती द्वारा तब प्राप्त की गई समझी जाएंगी जब-

(i) संबोधिती को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी जाती हैं ; और

(ii) संबोधिती के पते पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर भेजी जाती हैं ।

17. शिथिल करने की शक्ति

आयोग समुचित मामलों में और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

18. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इन विनियमों के अधीन की गई या किए जाने के आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई तथा किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/08-असा.]

प्ररूप-1

अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम

2. पता

   (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

   (ख) पत्राचार के लिए पता

   (ग) वेबसाइट पता

3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता

4. संपर्क टेलीफोन नम्बर

5. फैक्स नम्बर

6. ई-मेल आई डी

7. आवेदक की प्रास्थिति

(क्या भारत के नागरिक है या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या ऐसे व्यष्टिकों का संगम या निकाय है जो भारत के नागरिक हैं चाहे समामेलित हों या नहीं या भारतीय विधियों के अधीन मान्यताप्राप्त कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो । यदि सूचीबद्ध कंपनी है, तो उस स्टाक एक्सचेंज का नाम जिसमें वह सूचीबद्ध है तथा नवीनतम शेयर कीमत दी जाए)

8. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान

9. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष

10. संगम-ज्ञापन का वह खंड, जो विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए प्राधिकृत करता है । (सुसंगत भाग को उद्धृत करें)

11. क्या संगम-ज्ञापन विद्युत पारेषण करने के लिए प्राधिकृत करता है । यदि हां, तो सुसंगत भाग को उद्धृत करें ।

12. (क) प्राधिकृत शेयर पूंजी,

(ख) जारी शेयर पूंजी,

(ग) अभिदत्त शेयर पूंजी,

(घ) समादत्त शेयर पूंजी ।

टिप्पण : निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी :

(क) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

(ख) कारबार प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

(ग) संगम-ज्ञापन तथा संगम-अनुच्छेद

(घ) आवेदक को सुपुर्द करने के लिए हस्ताक्षरी के पक्ष में मूल पावर आफ अटार्नी ।

13. आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग

14. व्यापार किए जाने के लिए आशयित ऊर्जा की मात्रा

15. व्यापार का क्षेत्र

वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत आवेदक ने विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने का प्रस्ताव किया है ।

16. (i) पिछले ठीक तीन (3) वर्षों के लिए या ऐसी कम अवधि के लिए, जो लागू हो, संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार शुद्ध धन (नेट वर्थ) (यथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें)

	रकम रुपए में
(तारीख/ मास/ वर्ष) से (ता./ मास / वर्ष) तक	
(क) वर्ष 1 ( ) से ( ) तक	....
(ख) वर्ष 2 ( ) से ( ) तक	....
(क) वर्ष 3 ( ) से ( ) तक	....

(ii) आवेदन के साथ विशेष तुलनपत्र तैयार करने की तारीख को शुद्धधन ।

टिप्पण : उपरोक्त के साथ वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां संलग्न की जानी हैं ।

17. (i) पिछले ठीक तीन (3) वर्षों के लिए या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, के लिए संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्तमान अनुपात (यथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें) ।

(तारीख/ मास/ वर्ष) से (ता./ मास / वर्ष) तक	रकम रुपए में
(क) वर्ष 1 ( ) से ( ) तक	....
(ख) वर्ष 2 ( ) से ( ) तक	....
(क) वर्ष 3 ( ) से ( ) तक	....

(ii) आवेदन के साथ विशेष तुलनपत्र तैयार करने की तारीख को वर्तमान अनुपात ।

18. (i) पिछले ठीक तीन (3) वर्षों के लिए या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, के लिए संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार नकद अनुपात (यथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें) ।

(तारीख/ मास/ वर्ष) से (ता./ मास / वर्ष तक	रकम रुपए में
(क) वर्ष 1 ( ) से ( ) तक	....
(ख) वर्ष 2 ( ) से ( ) तक	....
(क) वर्ष 3 ( ) से ( ) तक	....

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र तैयार करने की तारीख को नकद (लिक्विडिटी) अनुपात ।

19. आवेदन करने की तारीख को शेयरधारकों के ब्यौरे

(5% प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारकों का ब्यौरा दें, चाहे वे आवेदक द्वारा प्रत्यक्षतः या उसके नातेदार द्वारा धारण किए हुए हों ।)

(क) शेयरधारक का नाम

(ख) नागरिकता

(ग) आवासीय प्रास्थिति

(घ) धारित शेयरों की संख्या

(ङ) कंपनी की कुल समादत्त पूंजी को धारित करने की % ।

20. पिछले ठीक तीन वित्तीय वर्षों या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, के लिए वार्षिक आवर्तन (तथा लागू वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करें)।

(तारीख/ मास/ वर्ष) से (ता./ मास / वर्ष) तक

रकम रुपए में

(क) वर्ष 1 ( ) से ( ) तक ....

(ख) वर्ष 2 ( ) से ( ) तक ....

(क) वर्ष 3 ( ) से ( ) तक ....

21. आवेदक की संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय हैसियत

(आवेदक से इन विनियमों के अनुसार विभिन्न कार्यपालकों, प्रस्तावित कार्यालय तथा संचार सुविधाओं आदि की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना तथा बायो-डाटा के रूप में उनकी संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय योग्यता के सबूत को संलग्न करने की अपेक्षा की जाती है ।)

22 प्रस्ताव तथा पद्धति

(आवेदक से, जैसा उसके द्वारा प्रस्तावित है, व्यापार करने के इंतजामों को स्थापित करने के लिए विहित प्रस्ताव तथा पद्धति की अपेक्षा की जाती है ।)

23 अन्य जानकारी

(क) क्या आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा । चाहे वे उसके लिए निर्मोचित नहीं किए गए हैं ;

(ख) आवेदन करने के वर्ष तथा आवेदन करने के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के परिणामस्वरूप मामलों के ब्यौरे तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख ;

(ग) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदारी, या संप्रवर्तक या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया था । यदि हां, तो आवेदन करने की तारीख, इंकार करने की तारीख और इंकार करने के कारणों का ब्यौरा दें ;

(घ) क्या आवेदक के पास पारेषण अनुज्ञप्ति है । यदि हां, तो उसका ब्यौरा दे ;

(ङ) क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है ;

(च) क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक को अधिनियम या उसके अधीन किसी कार्यवाही में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है । यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें ।

24. **संलग्न दस्तावेजों की सूची**

दस्तावेज का नाम

(क) ____________

(ख) ____________

(ग) ____________

(घ) ____________

(आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

प्ररूप 2

आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/निगमित कार्यालय का पता (स्पष्ट अक्षरों में)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सूचना (स्पष्ट अक्षरों में)

1. ऊपर नामित व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित कंपनी/भागीदार फर्म या एकमात्र स्वत्वधारी फर्म/व्यष्टिक/ व्यष्टिक संगम या निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति (जो लागू न हो उसे काट दें) (आवेदक) है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष ----- में (उस भौगोलिक क्षेत्र को उपदर्शित करें जिसके भीतर आवेदक व्यापार आरंभ करने का प्रस्ताव करता है) विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार करने के लिए प्रवर्ग ------- अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है । आवेदक के संबंध में आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

(i) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त या समादत्त पूंजी ।

(ii) शेयरधारण पैटर्न (5% या उससे अधिक शेयरों को धारण करने वाले शेयर धारकों का ब्यौरा दें)

शेयर धारक का नाम	नागरिकता	आवासीय प्रास्थिति	शेयरों की संख्या	कुल समादत्त पूंजी को धारण करने की प्रतिशतता

(iii) वित्तीय या तकनीकी सामर्थ्य ।

(iv) आवेदक का प्रबंधन प्रोफाइल जिसमें विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उसी प्रकार के क्रियाकलाप में आवेदक के प्रबंधन पर, आवेदक और/या व्यक्ति के पिछले अनुभव के ब्यौरे सम्मिलित हैं ।

(v) अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात् पिछले वर्ष के दौरान व्यापार किए जाने के लिए आशयित विद्युत की मात्रा तथा व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवेदक की भावी योजना ।

(vi) वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आवेदक विद्युत में व्यापार आरंभ करेगा ।

(vii) आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के 31वें मार्च को या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, तथा आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को शुद्धधन ।

(viii) उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, तथा आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का वर्षवार वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात ।

(ix) (क) ऐसा कथन कि आवेदक संगम-ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज के अधीन विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए प्राधिकृत है ।

(ख) यदि हां, तो संगम-ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज का वह विनिर्दिष्ट उपबंध उद्धृत करें जो विद्युत में व्यापार को प्राधिकृत करता है ।

(x) उन मामलों, यदि कोई हो, के ब्यौरे जिनमें आवेदक या उसके कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को दिवालिया घोषित किया गया है तथा निर्मोचित नहीं किया गया है ।

(xi) ऐसे मामलों, यदि कोई हों, के ब्यौरे जिनमें आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, भागीदार या संप्रवर्तक या निदेशक को आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती पूर्व तीन वर्षों और आवेदन करने के वर्ष के दौरान नैतिक अधमता, कपट या किसी आर्थिक अपराध में अंर्तवलित होने के लिए किसी अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो तथा ऐसी दोषसिद्धि के

परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख ।

आवेदक का नाम	आवेदक के साथ नातेदारी	अपराध की प्रकृति	दोषसिद्धि की तारीख

(xii) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया है, और यदि हां, तो आवेदन की विस्तृत विशिष्टियां, आवेदन करने की तारीख, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने वाले आदेश की तारीख तथा ऐसे इंकार के लिए कारणों का ब्यौरा दें ।

(xiii) क्या आवेदक को विद्युत में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ।

(xiv) क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने वाला आदेश पारित किया है ।

(xv) क्या आवेदक या उसके कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक ने कभी अनुज्ञप्ति से इंकार किया था, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।

(xvi) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों तथा समुचित आयोग के किसी आदेश के अननुपालन के अतिलंघन के लिए किसी कार्यवाही में कभी दोषी पाया गया था ।

2. आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन तथा अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए .... के पास (यहां नाम, पदनाम, पता तथा उस व्यक्ति का टैलीफोन नम्बर जिसके पास आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है) उपलब्ध हैं ।

3. आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन और अन्य दस्तावेज........................पर पोस्ट कर दिए गए हैं (उस वेबसाइट का पता दें जिस पर पोस्ट किया गया है)

4. आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को (ऐसा पता दें जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) आवेदक को प्रति देते हुए इस सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर भेजी जा सकेंगी ।

5. आयोग द्वारा उन आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के पश्चात् प्राप्त होती हैं ।

स्थान :

तारीख : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तथा पता

प्ररूप- 3

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है) अधिनियम (विशिष्टतया, इसकी धारा 17 से धारा 22, जिसमें दोनों सम्मिलित है), केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "विनियम" कहा गया है) जिनमें कानूनी संशोधन, परिवर्तन, उपांतरण, उसकी अधिनियमितियां भी सम्मिलित हैं, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप में पढ़े जाएंगे, में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ...क्षेत्र में विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत में व्यापार करने के लिए..........., (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को____________प्रवर्ग के रूप में यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है ।

2. सिवाय अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है ।

3. (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना,--

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के संबंध में, क्रय द्वारा या ग्रहण करके या अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ विलयन नहीं करेगा ;

(2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुविष्ट नहीं करेगा या उसकी उपयोगिता का अंतरण नहीं करेगा ;

(3) उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार जब तक कि वह आयोग के पूर्व अनुमोदन के या उसके अधीन नहीं किया गया हो, शून्य होगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का कारबार करने के लिए उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार किसी भी रूप में बाधित या निर्बंधित नहीं होंगे । अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा ।

5. अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगी और जब तक कि वह पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाती है, 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी ।

6. अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, अपनी आस्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई भी कारबार कर सकेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण का कारबार नहीं करेंगे ।

7. आयोग द्वारा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट हो, अनुज्ञप्तिधारी ....लाख रुपए की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा और वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस सौ रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित किए गए आनुपातिक आधार पर संदत्त होगी ।

8. अधिनियम की धारा 19 से धारा 22 तक, दोनों सहित, में अंतर्विष्ट उपबंध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और उसकी उपयोगिता के विक्रय का संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी को लागू होंगे ।

सचिव

प्ररूप 4क

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार किए गए विद्युत की मात्रा तथा कीमत (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं0 तथा तारीख) :
मास :

क्र0सं0	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	संव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु0)	विक्रय कीमत (रु0)	व्यापार मार्जिन (रु0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
अंतरा-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* आरटीसी रात-दिन

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम कानूनी जानकारी)

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई-मेल द्वारा एक्सलशीट में साफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

प्ररूप 4ख

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार किए गए विद्युत की मात्रा कीमत (व्यस्ततम*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं0 तथा तारीख) :

मास :

क्र0सं0	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	संव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु0)	विक्रय कीमत (रु0)	व्यापार मार्जिन (रु0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
अंतरा-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* 17.00 से 23.00 बजे तक सायंकालीन/व्यस्ततम अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंग का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

प्ररूप 4म

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (व्यस्ततम तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (स0 तथा तारीख) :
मास :

क्र0स0	सव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	सव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु0)	विक्रय कीमत (रु0)	व्यापार मार्जिन (रु0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर्-राज्यिक व्यापार सव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर्-राज्यिक व्यापार सव्यवहार											
1.											
2.											
अंतरा-राज्यिक व्यापार सव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से सव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

टिप्पण : (1) आकड़ा सव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंग का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण : (4) आकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट मे शाफ्ट प्रति

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

प्ररूप 5

31 मार्च ________ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विद्युत व्यापारी के कार्य-निष्पादन के मानक को प्रस्तुत करने वाला प्ररूप

(आयोग को प्रस्तुत किया जाना है)

व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का ब्यौरा (सं0 और तारीख)

क्र. सं.	वर्ष के दौरान व्यापार की गई विद्युत की मात्रा	अनुज्ञप्ति प्रदान करने से रिपोर्टाधीन वर्ष तक संबंधी व्यापार	अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् क्या विद्युत व्यापारी के प्रवर्ग में कोई परिवर्तन हुआ है । यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दे ।	क्या नेटवर्थ (शुद्ध मूल्य) में परिवर्तन के कारण शुद्ध धन में वृद्धि/कमी हुई है । यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दें ।	31 मार्च को वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात के ब्यौरे ।	क्या प्रवर्ग में परिवर्तन के कारण आयोग के पास अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस जमा की गई है । यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दें ।	क्या किसी अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति शर्त के उल्लंघन को ध्यान में लाया गया है या स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संप्रेक्षण किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें ।	व्यापार के लिए क्रय की गई विद्युत का संदाय ट्रेक रिकार्ड	क्या आवेदक या उसका सहयुक्त, भागीदार, संप्रवर्तक, निदेशक वर्ष के दौरान दिवालिया घोषित किए गए है, यदि हां तो उसका ब्यौरा दे ।	क्या आवेदक या उसका सहयुक्त, भागीदार, संप्रवर्तक, निदेशक किसी ऐसे अपराध से दोषसिद्ध ठहराए गए हैं जिनमें नैतिक अधमता, कपट या कोई आर्थिक अपराध सम्मिलित हो, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें ।	क्या वर्ष के दौरान सहयुक्त, भागीदार संप्रवर्तक, निदेशक को अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें ।	क्या वर्ष के दौरान आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, भागीदार, संप्रवर्तक, निदेशक अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के या समुचित आयोग के आदेश अनुपालन के लिए दोषी पाए गए हैं, यदि हां तो उसका ब्यौरा दे ।	टिप्पणियां

प्ररूप 6

आवेदक का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन सूचना

1. ऊपर नामित व्यक्ति जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष में .... मिलियन यूनिट का अन्तर-राज्यिक व्यापार करने के लिए प्रवर्ग .... अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति में निम्नानुसार परिवर्तन तथा उपांतरण करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन किया है :

1..

(आवेदन में दी गई अनुज्ञप्ति में परिवर्तन तथा उपांतरण यहां दें)

2. परिवर्तन और उपांतरण करने के आधार निम्नलिखित हैं : --

....

(आवेदन में दी गई अनुज्ञप्ति में परिवर्तन तथा उपांतरण यहां दें)

3. आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन को .... (वेबसाइट का नाम दें) पर पोस्ट कर दिया है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका .... के पास निरीक्षण किया जा सकता है ।

....

(उस प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दें जिसे आवेदन में दिया गया है)

4. अनुज्ञप्ति में परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन में ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव संबंधी आपत्तियां/सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (ऐसा पता दें जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) इस नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, आवेदक को प्रति देते हुए भेजे जा सकेंगे ।

5. आयोग द्वारा उन आपत्तियां सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा जो तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त होते हैं ।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तथा पता